

निरीक्षण रिपोर्ट

(संचालन सम्मति की वैद्यता वृद्धि / नियमितीकरण तथा सम्मति नवीनीकरण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप)

01.	उद्योग का नाम	
02.	स्थल का खसरा नम्बर।	
03.	स्थल का कुल क्षेत्रफल।	
04.	स्थल का पटवारी हल्का नम्बर।	
05.	स्थल के ग्राम (ग्रामों) का नाम।	
06.	ग्राम पंचायत (पंचायतों) का नाम, जिसके अंतर्गत उद्योग स्थल आता है।	
07.	ब्लॉक	
08.	तहसील	
09.	जिला	
10.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम।	
11.	निरीक्षण दिनांक एवं समय।	
12.	निरीक्षण के दौरान उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम।	
13.	कुल ग्रास कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट (लाख रुपये में)।	
14.	कुल ग्रास कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पुष्टि का आधार।	वार्षिक रिपोर्ट / सी.ए. सर्टिफिकेट
15.	उद्योग का प्रकार (रेड, आरेन्ज, ग्रीन)।	
16.	उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का	दिनांक— उत्पाद का नाम / उत्पादन क्षमता—

	दिनांक ।	

17.	उद्योग को जारी संचालन सम्मति का विवरण ।	जल सम्मति	वायु सम्मति
		पत्र क्रमांक-	पत्र क्रमांक-
		दिनांक-	दिनांक-
		उत्पाद का नाम / उत्पादन क्षमता-	

18.	उद्योग को जारी अद्यतन संचालन सम्मति नवीनीकरण का विवरण ।	जल सम्मति अद्यतन नवीनीकरण	वायु सम्मति अद्यतन नवीनीकरण
		पत्र क्रमांक-	पत्र क्रमांक-
		दिनांक-	दिनांक-
		सम्मति नवीनीकरण की अवधि- से	सम्मति नवीनीकरण की अवधि- से
		उत्पाद का नाम / उत्पादन क्षमता-	

19.	प्रतिदिन प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का नाम एवं मात्रा । (यदि कोई खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाना है तो, पूर्ण विवरण यथा स्रोत, मात्रा, श्रेणी आदि की जानकारी प्रस्तुत करें।)	नाम	मात्रा

20.	वर्तमान में विभिन्न मदों में जल उपभोग की वास्तविक मात्रा ।	जल उपभोग का मद	जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
		घरेलू	
		प्रक्रिया में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		कूलिंग में (वन्स थ्रू तथा मेकअप की मात्रा पृथक-पृथक उल्लेख करें। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		बॉयलर	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन में	
		वाशिंग में (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)			
डस्ट सप्रेसन में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)			

		वृक्षारोपण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		अन्य कार्यों में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	

21.	वर्तमान में विभिन्न मर्दों से उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा।	उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत	उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कुलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	
	कुल		

22.	उत्पन्न निस्त्राव के लिये स्थापित उपचार व्यवस्था का विवरण।	उत्पन्न निस्त्राव का विवरण	उत्पन्न निस्त्राव के उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का तकनीकी विवरण सहित जानकारी।
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कुलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	

23.	उपचार उपरांत निस्त्राव के उपयोग के संबंध में जानकारी।	उपचारित निस्त्राव का विवरण	उपयोग किये जाने का विवरण एवं उपयोग की मात्रा
		घरेलू	
		प्रक्रिया	
		कुलिंग ब्लोडाउन	
		बायलर ब्लोडाउन	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन	
		वाशिंग (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	
		अन्य कार्यों	
	कुल		

24.	उपचारित निस्त्राव के विभिन्न कार्यों में उपयोग उपरांत शेष निस्त्राव के उपयोग / अपवहन के संबंध	शेष निस्त्राव का विवरण	अपवहन किये जाने का विवरण एवं अपवहन की मात्रा

	में जानकारी।								
		कुल							
25.	उपचारित निस्त्राव गुणवत्ता के लिये अधिकतम निर्धारित सीमा बाबत् जानकारी।	उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत	उपचारित निस्त्राव गुणवत्ता के लिये अधिकतम निर्धारित सीमा (मिलीग्राम प्रति लीटर, पी.एच. को छोड़कर)						
			पी.एच.	एस.एस.	बी.ओ.डी.	सी.ओ.डी.	ऑयल एण्ड ग्रीस	अन्य	
			घरेलू						
			प्रक्रिया से						
			कूलिंग ब्लोडाउन से						
			बॉयलर ब्लोडाउन से						
			डी.एम. प्लांट / सॉपटनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से						
			वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)						
			जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से						
अन्य कार्यों से									
26.	निस्त्राव की गुणवत्ता बाबत् जानकारी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट संलग्न करें।	उपचारित निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)	उपचार पूर्व गुणवत्ता		उपचार उपरांत गुणवत्ता				
			सेम्पलिंग स्थल/बिंदु का नाम -	सेम्पलिंग स्थल/बिंदु का नाम -					
			पी.एच.		पी.एच.				
			एस.एस.		एस.एस.				
			बी.ओ.डी.		बी.ओ.डी.				
			सी.ओ.डी.		सी.ओ.डी.				
ऑयल एण्ड ग्रीस		ऑयल एण्ड ग्रीस							
27.	क्या उपचारित निस्त्राव समीपस्थ नदी / नाले में मिलता है / मिलने की संभावना है? यदि हाँ तो ऐसी स्थिति में नदी/ नाले की अपस्ट्रीम में वर्तमान गुणवत्ता व श्रेणी तथा निस्त्राव के निस्सारण उपरांत डाउन स्ट्रीम में नदी	नदी/नाले का नाम (जिसमें निस्त्राव निस्सारित किया जाता है / निस्सारित होने की संभावना है।) -							
		निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)	अपस्ट्रीम में नदी / नाले की गुणवत्ता			डाउनस्ट्रीम में नदी / नाले की गुणवत्ता			
			पी.एच.			पी.एच.			
			एस.एस.			एस.एस.			
			बी.ओ.डी.			बी.ओ.डी.			
			सी.ओ.डी.			सी.ओ.डी.			
क्लोराईड			क्लोराईड						

	/नाले की गुणवत्ता व निस्त्राव के समाहित करने की क्षमता पर विवेचना सहित जानकारी दी जावे।					
--	---	--	--	--	--	--

28.	निस्त्राव के आसानी से जैव अवकर्षणीय होने, निराविषी होने, आसानी से जैव अनवकर्षणीय होने अथवा विषी होने की संभावना के संबंध में जानकारी।	
-----	---	--

29.	स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	
-----	---	--

30.	ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत् जानकारी।	ठोस अपशिष्टों का विवरण	ठोस अपशिष्टों की मात्रा (प्रतिदिन में)	एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार, अन्य कार्यों में उपयोग एवं अपवहन व्यवस्था का विवरण
	क्या उत्पन्न ठोस अपशिष्टों का अपवहन परिसर के बाहर किया जा रहा है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।			
	ठोस अपशिष्टों के भू-भरण में उपयोग किये जाने के फलस्वरूप क्या लिचेट उत्पन्न हो रहा है ? यदि हाँ, तो उसकी गुणवत्ता, एकत्रीकरण एवं अपवहन बाबत् जानकारी दें।			
	यदि राख उत्पन्न होता है, तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार उपयोग / अपवहन हेतु व्यवस्था का विवरण। (प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी तथा उद्योग द्वारा तदनुसार उपयोग / अपवहन की जानकारी।)			

31.	स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	
-----	---	--

32.	स्थापित बॉयलर, हीटर, फर्नेस, डी.जी. सेट आदि की जानकारी।	स्थापित संयंत्र का नाम	संख्या एवं क्षमता	प्रयुक्त ईंधन का नाम एवं मात्रा (प्रतिदिन में)	प्रयुक्त ईंधन में उपस्थित सल्फर की मात्रा (प्रतिशत में)

33.	प्रोसेस प्लो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के स्रोत एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी।	स्रोत का नाम	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी

34.	फ्यूजिटिव डस्ट / गैसेस प्रदूषकों के उत्सर्जन के स्रोत एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। (समस्त कच्चे पदार्थों / उत्पादों / अपशिष्टों आदि के हथालन एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं अपवहन आदि के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव उत्सर्जन हेतु भी जानकारी दी जावे।)	स्रोत का नाम	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी

35.	प्रोसेस प्लो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन हेतु स्थापित चिमनियों के संबंध में जानकारी। (डी.जी. सेट आदि उत्सर्जन स्रोतों बाबत् भी जानकारी दी जावे।)	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का नाम	स्थापित ऊँचाई	ऊँचाई की उपयुक्तता बाबत् जानकारी।

36.	वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन की मात्रा के संबंध में जानकारी।	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	फ्लू गैस की मात्रा (घनमीटर/घंटा)	वायु प्रदूषकों (पी.एम./एस.ओ. टू/अन्य) का नाम एवं उपचार उपरांत उत्सर्जन की मात्रा (किलोग्राम/घंटा)

37.	वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन की निर्धारित अधिकतम सीमा की तुलना में सांद्रता के संबंध में जानकारी।	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	वायु प्रदूषकों की अधिकतम सीमा एवं उत्सर्जन की सांद्रता (मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर)			
			पी.एम. की सीमा	पी.एम. की सांद्रता की सीमा की सांद्रता

38.	स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	
-----	---	--

39.	वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी।	वृक्षारोपण हेतु कुल उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल।	
		परिसर के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकास किये जाने के संबंध में उपलब्ध भूमि का विवरण (सम्मति शर्त अनुसार परिसर के चारों तरफ कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना आवश्यक है तथा इस हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। इस बाबत पूर्ण जानकारी देवें।) ग्रीन बेल्ट विकास हेतु की गई कार्यवाही एवं वृक्षारोपण संबंधी जानकारी।	
		वृक्षारोपण में उपयोग किये जाने वाले उपचारित निस्त्राव की मात्रा एवं इस हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त होने संबंधी जानकारी।	
		उद्योग द्वारा वृक्षारोपण प्लान बाबत जानकारी।	<ol style="list-style-type: none"> 1. विचाराधीन वर्ष में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित क्षेत्रफल – 2. विचाराधीन वर्ष में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य– 3. विचाराधीन वर्ष में किये गये वृक्षारोपण की संख्या– 4. विचाराधीन वर्ष में कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण किया गया– 5. आगामी वर्ष में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल– 6. आगामी वर्ष में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य– 7. आगामी वर्ष में प्रस्तावित वृक्षारोपण की संख्या– 8. आगामी वर्ष में वृक्षारोपण पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित समयावधि– 9. आगामी वर्ष में कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है – 10. स्थापना सम्मति आवेदन के प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी।
40.	उद्योग संचालन / प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायत का विवरण एवं निरीक्षण उपरांत तथ्यों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण। (यदि कोई हो।)		
41.	रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित व्यवस्था के संबंध में जानकारी।		
42.	वर्षा जल के साथ कच्चे पदार्थों, उत्पादों, ईंधन, अपशिष्टों आदि के बहाव की रोकथाम हेतु स्थापित		

	व्यवस्था। (गारलेण्ड ड्रेन, चेकडेम आदि) की जानकारी।	
--	--	--

43.	जल संचालन सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की विस्तृत बिंदुवार जानकारी।		
	शर्त क्रमांक	शर्त का विवरण	शर्त के पालनार्थ उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी।

44.	वायु संचालन सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की विस्तृत बिंदुवार जानकारी।		
	शर्त क्रमांक	शर्त का विवरण	शर्त के पालनार्थ उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी।

45.	अन्य विवरण।	
-----	-------------	--

46.	सम्मति वैद्यता वृद्धि / सम्मति नवीनीकरण में यदि कोई विशेष शर्त अधिरोपित किया जाना हो तो स्पष्ट रूप से इस बाबत जानकारी दें।	
-----	--	--

47.	सम्मति वृद्धि / सम्मति नवीनीकरण करने बाबत् स्पष्ट अभिमत।	वैद्यता जारी
48.	उद्योग के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही (यदि कोई हो।) का विवरण।	

हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम
क्षेत्रीय कार्यालय की सील

क्षेत्रीय अधिकारी की अभिमत/अनुशंसा (उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी के अलावा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने की स्थिति में।)

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी का नाम
क्षेत्रीय कार्यालय की सील